राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (32) ग्रावि/ग्रुप–5/ सां./पीएमएवाईजी/रिमाण्ड माड्यूल/2018–19 जयपुर, दि. 17 मई 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल अपात्र लाभार्थियों को रिमाण्ड मॉडयूल के माध्यम से हटाये जाने के क्रम में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.10.2017 एवं विभागीय पत्र दिनांक 27.2.17, 11.4.17, 14.11.17 एवं 15.12.17।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत SECC – 2011 के आधार पर तैयार लाभार्थियों की सूची में से ग्राम सभा में 14 मापदण्डो के आधार पर परीक्षण / अनुमोदन उपरान्त जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेठी के अनुमोदन उपरान्त अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति, अन्य व अल्पसंख्यक वर्ग की वर्गवार वरीयता सूची जारी की गई है, जो आवास सॉफ्ट पर रिपोर्ट संख्या E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee'' पर प्रदर्शित है। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के कियान्वयन के फ्रेम वर्क के बिन्दू संख्या 3.4, 4.2 एवं 5.2 के अनुसार वर्गवार वरीयता सूची के वरीयता क्रम में आवास स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

वरीयता सूची में भूमिहीन (भूखण्डहीन) लाभार्थी के शामिल होने पर विभागीय पत्र दिनांक 27.2.17 बिन्दू संख्या 8 के द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृति जारी कर भूखण्ड उपलब्ध/ ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने पर प्रथम किश्त हस्तान्तरित कराने बाबत निर्देशित किया गया ।

वर्ष 2016–17 के आवंटित लक्ष्यों की स्वीकृतियां जारी करते समय जिलो द्वारा निरीक्षण /समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि स्थाई वरीयता सूची में काफी संख्या में अपात्र व्यक्ति पाये जा रहे है एवं इनके नाम वरीयता सूची में से हटाये जाने का प्रावधान नहीं है इस कारण लक्ष्यानुसार स्वीकृतियां जारी नहीं हो पा रही है। उक्त के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 27.2.17 द्वारा किसी भी परिस्थिति में अपात्र व्यक्ति को स्वीकृति जारी नहीं करने के निर्देश राज्य स्तर से जारी किये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न स्तरो से अपात्र लाभार्थियो की स्वीकृतियां जारी किये जाने की शिकायते प्राप्त होने पर विभागीय पत्र दिनांक 11.4.17 द्वारा योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियो की रेण्डम आधार पर तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता/संस्थाओं /जिला अधिकारियो के दल से जांच करवाने एवं जांच में पाई गई अपात्र लाभार्थियो की स्वीकृतियो को अविलम्ब निरस्त करने के निर्देश प्रदान किये गये।

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से वरीयता सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाये जाने के प्रावधान हेतु विभागीय पत्र दिनांक 19.4.17 द्वारा आग्रह किया गया। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 24.10.17 अपात्र लाभार्थियो के नाम वरीयता सूची से Delition हेतु रिमाण्ड मॉडयूल का प्रावधान किया गया ,जिसके क्रम मे सभी जिलो को उक्त पत्र में निर्धारित प्रकियानुसार अपात्र व्यक्तियो के नाम

हटाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु दिनांक 14.11.17 को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये।

रिमाण्ड मॉडयूल के अंतर्गत जिलो द्वारा समुचित संख्या में प्रकरणों को दर्ज नहीं किये जाने की समीक्षा जिला आवास प्रभारियों की बैठक दिनांक 1.5.19 में की गई एवं जिलो द्वारा अपात्र व्यक्तियो को रिमाण्ड मॉडयूल से ऑनलाईन दर्ज करने एवं संबंधित लाभार्थी के इस बाबत दस्तावेज दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त की ही दिनांक 14.5.19 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियो की समीक्षा विडियो कॉन्फैसिंग मे की गई , जिसमें राज्य के 6 जिलों बांसवाडा, बांरा, भरतपुर, बून्दी, डूंगरपुर एवं जैसलमेर द्वारा एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने एवं अन्य 27 जिलो द्वारा मात्र 28366 प्रकरण ही दर्ज किये गये है, की समीक्षा की गई। जिलों द्वारा कम प्रकरणो के कम में पंचायत समितियों द्वारा अपात्र व्यक्ति नहीं होने / प्रकरण प्रेषित नहीं किया जाना अवगत कराया गया।

उक्त के कम में राज्य स्तर से आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित एक ग्राम पंचायत शोकलिया, पंचायत समिति सरवाड, जिला अजमेर की निम्न दो रिपोर्ट के अधार पर समीक्षा की गई –

'E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee'' 'H. Social Audit Reports Beneficiary details for verification ''

उक्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जन जाति वर्ग के 7 अनुसूचित जाति वर्ग का 1 एवं अन्य वर्ग के 13 कुल 21 लाभार्थियो को स्वीकृति वर्ष 2018–19 तक जारी होना पाया गया, जिसकी पुष्टि आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट C.2 Category-wise houses sanctioned and completed से की गई।

उक्त रिपोर्टो की समीक्षा में पाया गया कि अनुसूचित जन जाति के कुल 7 लाभार्थियों को स्वीकृति जारी की गई है, जिसका अंतिम वरीयता कमांक 14 है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के कुल 1 लाभार्थी को स्वीकृति जारी की गई है, जिसका अंतिम वरीयता कमांक 2 है एवं अन्य वर्ग में कुल जारी 13 स्वीकृतियों में अंतिम वरीयता कमांक 42 है, जिसके अनुसार अनुसूचित जन जाति वर्ग के 7 लाभार्थियो, अनुसूचित जाति वर्ग के 1 एवं अन्य वर्ग के 29 लाभार्थी एवं वरीयता कमांक 1, 2 एवं 3 पर दो – दो परिवार शामिल है। अतः इस प्रकार अंतिम वरीयता कमांक 42 सहित कुल 13 स्वीकृतियां जारी करने के उपरान्त 42 – 13 = 29 + 3 =32 लाभार्थियों को वरीयता कम में Skip किया गया है। उपरोक्त सभी 7+1+32 कुल 40 लाभार्थी अपात्र मान कर स्वीकृतियां जारी की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के अंतर्गत 3.64 लाख के लक्ष्य जिलेवार, वर्गवार आवंटित कर दिये गये है, योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को ही वरीयता कमांक में स्वीकृति जारी किये जाने की सुनिश्चिता के मद्देनजर काफी संख्या में वरीयता सूची में शामिल अपात्र व्यक्तियो के नाम रिमाण्ड मॉडयूल द्वारा जिलो स्तर से ऑनलाईन दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः आप अपने स्तर से रिमाण्ड मॉडयूल पर अपात्र लाभार्थियों के नाम दर्ज किये जाने की समीक्षा करे एवं यदि समीक्षा में वरीयता कम के परिवारों को Skip कर अगले वरीयता कम के लाभार्थी को लाभान्वित किये जाने के प्रकरण में प्रकाश मे आवे तो दोषी अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही भी अमल में लाई जावे।

जिला स्तर से रिमाण्ड मॉडयूल के अंतर्गत दर्ज होने योग्य प्रकरणो की संख्या का आंकलन निम्नानुसार किया जा सकता है।

1. आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार प्रदर्शित निम्न तीन रिपोर्टो को डाउनलोड किया जावे। 'E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee" 'H. Social Audit Reports Beneficiary details for verification " C.2 Category-wise houses sanctioned and completed।
2. उक्त तीनों रिपोर्ट के आधार पर संकलित कर वर्गवार अंतिम वरीयता क्रमांक जिसको स्वीकृति जारी की गई है के उपर प्रदर्शित लाभार्थियो की संख्या जिन्हे स्वीकृति जारी नहीं है को जोड कर कुल रिमाण्ड माडयूल के प्रकरण अनुमानित किये जा सकते है। उदाहरणार्थ संलग्न ग्राम पंचायत के अंतर्गत इनकी संख्या अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग में क्रमशः 7, 1 एवं 32 कुल 40 है।

उक्तानुसार जिला स्तर से पंचायत समिति वार प्रकरणों को पंचायत समिति भेज कर लाभार्थियो के नाम के समुख उनकी अपात्रता का कारण व दस्तावेज मंगवाकर ऑनलाईन रिमाण्ड मॉडयूल पर दर्ज करावे, जिससे योजना के दिशा – निर्देशानुसार वरीयता क्रम में ही स्वीकृतियां लक्ष्य अनुसार समयबद्ध सुनिश्चित हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।

स्टेट नोडल अधिकारी, PMAY-G

Cases to be Remanded to Gram Sabha Report as on 15-5-19

#SNo	District Name	Request from district	Approved by state	Send to gram sabha	Verified by state
	Total	**28885**	**10390**	**374**	**0**
1	AJMER	755	0	0	0
2	ALWAR	46	46	0	0
3	BANSWARA	0	0	0	0
4	BARAN	0	0	0	0
5	BARMER	34	34	0	0
6	BHARATPUR	0	0	0	0
7	BHILWARA	3279	1546	0	0
8	BIKANER	182	144	0	0
9	BUNDI	0	0	0	0
10	CHITTORGARH	3905	1084	0	0
11	CHURU	124	124	0	0
12	DAUSA	761	761	0	0
13	DHOLPUR	14	0	0	0
14	DUNGARPUR	0	0	0	0
15	HANUMANGARH	15	0	0	0
16	JAIPUR	3241	1763	185	0
17	JAISALMER	0	0	0	0
18	JALORE	3525	378	0	0
19	JHALAWAR	1	1	1	0
20	JHUNJHUNU	46	0	0	0
21	JODHPUR	1418	1418	48	0
22	KARAULI	277	277	0	0
23	KOTA	2	0	0	0
24	NAGAUR	121	119	103	0
25	PALI	2060	0	0	0
26	PRATAPGARH	1790	110	28	0
27	RAJSAMAND	386	321	9	0
28	SAWAI MADHOPUR	941	192	0	0
29	SIKAR	1364	212	0	0
30	SIROHI	3	0	0	0
31	SRI GANGANAGAR	1539	403	0	0
32	TONK	5	0	0	0
33	UDAIPUR	3051	1457	0	0
	Total	**28885**	**10390**	**374**	**0**

रिमाण्ड मॉडयूल पर ऑनलाईन दर्ज कराने हेतु
अपात्र लाभार्थियो की
आवास सॉफ्ट पर ऑनलाईन उपलब्ध रिपोर्ट से पहचान की प्रक्रिया –

1. आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट 'E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee'' के द्वारा ग्राम पंचायत की वर्गवार (अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग) की वरीयता डाउन्लोड कर प्रिन्ट लेवे। रिपोर्ट नम्बर 1 संलग्न है।
2. आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट 'H. Social Audit Reports ....' के द्वारा ग्राम पंचायत की वर्ष वार (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) की स्वीकृतियों की सूची डाउन्लोड कर प्रिन्ट लेवे। रिपोर्ट नम्बर 2 संलग्न है।
3. उक्त रिपोर्ट नम्बर 2 के आधार पर रिपोर्ट नम्बर 1 स्थाई वरीयता सूची में संबंधित वर्ग की सूची अलग–अलग कर आगे अतिरिक्त 3 नये कॉलमों में स्वीकृति अनुसार निम्नानुसार विवरण दर्ज करे

#SNo	Registration No	Beneficiary Name	Father Name	Mother Name	Category	Priority	Sanction S.no	Year	[illegible]
1	[illegible]	NEELA DEVI	HEERA LAL	RAJI	ST	1	14	17-18	
2	[illegible]	GULABI DEVI BHIL	RAM LAL	DHAPU	ST	2	5	16-17	
3	[illegible]	GEETA DEVI	GOVARDHAN	RAJI	ST	3	9	17-18	
4	[illegible]	TEJU BHIL	SURAJ MAL	RAJI DEVI	ST	4	not sanctioned		Please check for online remand
5	[illegible]	RAM DEV BHIL	NANDARAM	GULAB	ST	5	not sanctioned		
6	[illegible]	KANI BHIL	KISHANA	HAGAMI	ST	6	not sanctioned		
7	[illegible]	SOHANI	BIRDA BHIL	GHISI	ST	7	19	17-18	
8	[illegible]	CHOTU BHEEL	LADU	RAJI	ST	8	not sanctioned		Please check for online remand
9	[illegible]	KALU	TEJU	NANDU	ST	9	not sanctioned		
10	[illegible]	LALI DEVI	ROOPA	JASSA	ST	10	11	17-18	
11	[illegible]	NANDARAM BHIL	HEERO	RAMUDI	ST	11	not sanctioned		Please check for online remand
12	[illegible]	SORAJ BHIL	KUNANA	KAMLA	ST	12	not sanctioned		
13	[illegible]	GHISI	CHANDRA	BAKHTI	ST	13	10	17-18	
14	[illegible]	PANI DEVI	HAJARI	SUGANI	ST	14	15	17-18	
15	[illegible]	LALA	RAMKARAN	RADHA	ST	15		.	
16	[illegible]	PANCHI DEVI	NARO BHIL	CHANDNI	ST	16			

उक्तानुसार शोकलिया ग्राम पंचायत में ST वर्ग के 16 लाभार्थियो में से अब तक 7 लाभार्थियो को आवास स्वीकृत किये गये है जिसका अंतिम वरीयता क्रमाक 14 है। उक्त सूची में क्रम सं. 4,5,6,8,9,11 एवं 12 कुल 7 की स्वीकृति जारी नहीं होना अपात्रता के कारण को दर्शाता है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

4. उक्तानुसार अस्वीकृत लाभार्थियो की पंचायतवार सूची पंचायत समिति को सत्यापन हेतु प्रेषित कर कराकर स्वीकृत नहीं करने के कारण के साथ निर्धारित सूचना /दस्तावेज आवास सॉफ्ट पर रिमाण्ड मॉडयूल में दर्ज करावे।
5. उक्तानुसार स्पष्ट है कि रिमाण्ड मॉडयूल हेतु अपात्र लाभार्थियो के चिन्हिकरण की सूचना जिला स्तर से आवाससॉफ्ट से संकलित कराकर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है।
6. ग्राम पंचायतवार /वर्गवार रिमाण्ड मॉडयूल हेतु अपात्र व्यक्तियों की अनुमानित गणना –

जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	वर्ग	स्थाई वरीयता सूची में लाभार्थियो की संख्या	स्वीकृत आवासो में स्थाई वरीयता सूची का अंतिम क्रमांक	कुल जारी स्वीकृत	वरीयता क्रम में संलग्न सूची अनुसार छोड गये लाभार्थियो की संख्या	रिमाण्ड मॉडयूल में ऑनलाईन दर्ज परिवार	[illegible]
अजमेर	सरवाड	शोकलिया	ST	16	14	7	7		
			SC	8	2	1	1		
			others	51	42+3*	13	29+3 =32		
				75		21			

*ग्राम पंचायत में एक ही वरीयता क्रमांक 1,2 एवं 3 पर दो – दो परिवार शामिल है। अतः इस प्रकार अंतिम वरीयता क्रमांक 42 सहित कुल 13 स्वीकृतियां जारी करने के उपरान्त 42 – 13 = 29 + 3 =32 रिमाण्ड मॉडयूल हेतु सामान्य वर्ग में अपात्र है।